

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सुश्री शाली कंदावत, सूचना सहायक, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर (दक्षिण) को Jaipur National University से MCA की पत्राचार परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति सुश्री शाली कंदावत को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर दी जाती है:-

शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अ स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा प्रकाशित अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

1. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की म या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।

-सह-

(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर।
2. सुश्री शाली कंदावत, सूचना सहायक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर (दक्षिण)।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सुश्री स्नेहा जांगिड़, सूचना सहायक, कार्यालय सामु. स्वास्थ्य केन्द्र मालपुरा (टोंक) को RCEW, Jaipur ICA Vth & VIth Sem. की नियमित परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति सुश्री स्नेहा जांगिड़ को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर दी जाती है:-

शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्तः स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा निम्न प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मांग या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।

—sd—
(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

अपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु. स्वास्थ्य केन्द्र मालपुरा (टोंक)।
2. सुश्री स्नेहा जांगिड़, सूचना सहायक, सामु. स्वास्थ्य केन्द्र मालपुरा (टोंक)।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सुश्री नैना खण्डेलवाल, सूचना सहायक, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर (दक्षिण) को Jaipur National University से MCA IInd Year की पत्राचार परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को को पत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति सुश्री नैना खण्डेलवाल को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों तन की जाती है:-

शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार न मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्य स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा कि प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुरूप उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।

- सौ -

(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

ये निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर (दक्षिण)।

सुश्री नैना खण्डेलवाल, सूचना सहायक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर (दक्षिण)।

संबन्धित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

क्रमांक :- एफ.2(2441)/डी.ओ.आई. टी./संस्था/14/1/17619/2014 जयपुर, दिनांक : 21/03/14

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री राहुल कुमार वेद, सूचना सहायक, कार्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (सिटी डिस्पेंसरी, सेशन को यपुर को Vardhman Mahaveer Open University, Kota से MSc-CS की पत्राचार परीक्षा में सम्मिलित है। स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री राहुल कुमार वेद को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों तान की जाती है:-

शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घो होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

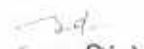
अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा दि प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनु उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु मिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।


(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

अपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय जिला न्यायालय बनीपार्क, जयपुर।

श्री राहुल कुमार वेद, सूचना सहायक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (सिटी डिस्पेंसरी, सेशन कोर्ट), जयपुर संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

क्रमांक :- एफ.2(5096)/डी.ओ.आई. टी./संस्था/14/1/17616/2014 जयपुर, दिनांक : 21/01/14

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सुश्री सावित्री पितावत, सूचना सहायक, कार्यालय डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर को PLV Memorial College JNVU, Jodhpur से MA की स्वयंपाठी परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति सुश्री सावित्री पितावत को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर दी जाती है:-

शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्तः स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा विधिक प्रक्रिया का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।

(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

अपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

प्राधान्याचार्य एवं नियन्त्रक, डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।

सुश्री सावित्री पितावत, सूचना सहायक, डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।

संबन्धित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

क्रमांक :- एफ.2(1926)/डी.ओ.आई. टी./संस्था/14/2/17613/2014 जयपुर, दिनांक : 21/03/14

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री गिरधारी लाल प्रजापत, सूचना सहायक, कार्यालय जिला औषधी भण्डार गृह, उदयपुर को SIKKIM ANIPAL UNIVERSITY से M.Sc. IV Sem. की स्वयंपाठी परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग व ई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री गिरधारी लाल प्रजापत को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों तन की जाती है:-

शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्य स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा कि प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अम्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।

(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

पि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

प्रभारी अधिकारी, जिला औषधी भण्डार गृह, उदयपुर।

श्री गिरधारी लाल प्रजापत, सूचना सहायक, जिला औषधी भण्डार गृह, उदयपुर।

संबन्धित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

क्रमांक :- एफ.2(4032)/डी.ओ.आई. टी./संस्था/14/1/176/2/20/4

जयपुर, दिनांक : 21/03/

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सुश्री सुनीता सांखला, सूचना सहायक, कार्यालय जिला औषधि भण्डार, नागौर को Govt. Engineering College, Ajmer से M.C.A. (VI Sem.) Project Development की नियमित परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति सुश्री सुनीता सांखला को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर दी जाती है:-

शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्य स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा विचार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।

-sd-

(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

विशेषाधिकारी, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम स्वास्थ्य भवन, सी स्कीम, जयपुर।

सुश्री सुनीता सांखला, सूचना सहायक, जिला औषधि भण्डार, नागौर।

संबन्धित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री जितेन्द्र, सूचना सहायक, कार्यालय राजकिय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुडी, सुजानगढ़ (चुरु) को Ape Institute of Management and science, Mansoraver, Jaipur से MCA Vth Sem. की नियमित परीक्षा में शामिल होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री जितेन्द्र को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अतः स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा निम्न प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की माया या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।

(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

लेपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकिय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुडी, सुजानगढ़ (चुरु)।
2. श्री जितेन्द्र, सूचना सहायक, राजकिय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुडी, सुजानगढ़ (चुरु)।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री नरेन्द्र उपाध्याय, सूचना सहायक, कार्यालय सामु. स्वास्थ्य केन्द्र, राजगढ़, चूरु को **Maharaja Gang**
ingh University, Bikaner से **MA** की स्वयंपाठी परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को क
पत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री नरेन्द्र उपाध्याय को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर द
ने जाती है:-

शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वत
समाप्त मानी जाएगी।

कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है
अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम धं
होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार
मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अ
स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा नि
प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अ
उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मा
या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।

(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

अपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

- कनिष्ठ विशेषज्ञ, सामु. स्वास्थ्य केन्द्र, राजगढ़, चूरु।
- श्री नरेन्द्र उपाध्याय, सूचना सहायक, सामु. स्वास्थ्य केन्द्र, राजगढ़, चूरु।
- संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सुश्री अनिता डांगी, सूचना सहायक, कार्यालय उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम को **Jaasthan University Jaipur** से **MA Previous (Sociology)** की स्वयंपाठी परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति सुश्री अनिता डांगी को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्र जाती है:-

शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घो होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा वि प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनु उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मा या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।

-sd-

(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

अपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम।
2. सुश्री अनिता डांगी, सूचना सहायक, उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री राकेश कुमार मीणा, सूचना सहायक, कार्यालय तहसीलदार, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा को Jaipur
onal University, Jaipur से MCA IInd Year की पत्राचार परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग
कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री राकेश कुमार मीणा को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों प
1 की जाती है:-

1. अध्ययन संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही
माप्त मानी जाएगी।

2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है त
अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

3. कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषि
ने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

4. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

5. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार ना
मेल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा
स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

7. अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा किर
कार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

8. शासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

9. परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुस
रहित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता
या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।


(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

ये निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

तहसीलदार, फूलियाकलां, जिला भीलवाड़ा, चुरू।

श्री राकेश कुमार मीणा, सूचना सहायक, तहसीलदार, फूलियाकलां, जिला भीलवाड़ा।

संबन्धित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

अनापत्ति प्रमाण पत्र

ममता गीला, सूचना सहायक, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर (दक्षिण) को Jaipur National University से MCA IInd Year की पत्राचार परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होना की अनुमति ममता गीला को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की है:-

शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन् स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा वि प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनु उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।

-54-

(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

अपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर
2. ममता गीला, सूचना सहायक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर (दक्षिण)।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सुश्री खुशबू कड़ेला, सूचना सहायक, कार्यालय उपायुक्त, प्रवर्तन जोधपुर को SIKKIM MANIPAL UNIVERSITY से MBA (Banking) IV Sem. की पत्राचार परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को ई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति सुश्री खुशबू कड़ेला को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रद जाती है:-

शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार न मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्य स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।

—sd—

(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

पे निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

जिला परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), जोधपुर।

सुश्री खुशबू कड़ेला, सूचना सहायक, उपायुक्त, प्रवर्तन जोधपुर।

संबन्धित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री विकास शर्मा, सूचना सहायक, कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जालोर को Lovely Professional University से MCA की पत्राचार परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई लेना नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री विकास शर्मा को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदाता जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही प्राप्त मानी जाएगी।

2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तब अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

3. कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

4. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

5. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

7. अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

8. आसनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

9. परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।

—sd—

(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

यदि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जालोर।

श्री विकास शर्मा, सूचना सहायक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जालोर।

संबन्धित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

नाक :-एफ2(4895)/डी.ओ.आई. टी./संस्था/14/1/17359/2014 जयपुर, दिनांक : 13/03/18

अनापत्ति प्रमाण पत्र

शुश्री जसमीत कौर, सूचना सहायक, कार्यालय अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर को Jaipur National University, Jaipur से MCA IIInd Year की पत्राचार परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई त्रुटि नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति शुश्री जसमीत कौर को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदाता जाती है:-

शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः स्वीकार्य मानी जाएगी।

कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है। अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिलेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

शासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।

sd-
(जय सिंह)
प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

ये निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर।
शुश्री जसमीत कौर, सूचना सहायक, अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर।
संबन्धित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री प्रमोद कुमार प्रजापत, सूचना सहायक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिरसला को Govt. Lohia Collage, ru से M.A. की स्वयंपाठी परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री प्रमोद कुमार प्रजापत को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों प न की जाती है:-

शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार न मेल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्य स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुरूप उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।

-sd-
(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

पि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिरसला, चुरू।
श्री प्रमोद कुमार प्रजापत, सूचना सहायक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिरसला।
संबन्धित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री किशोर कुमार टेलर, सूचना सहायक, कार्यालय सामु. स्वास्थ्य केन्द्र, बनेड़ा, भीलवाड़ा को Vardhman aveer Open University, Kota से M.s.c. Chemistry की पत्राचार परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री किशोर कुमार टेलर को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर दी जाती है:-

क्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही प्राप्त मानी जाएगी।

विचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

विचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा किसी तरह का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

प्रासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार घेत स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।

—sd—
(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

चेकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु. स्वास्थ्य केन्द्र, बनेड़ा, भीलवाड़ा।

श्री किशोर कुमार टेलर, सूचना सहायक, सामु. स्वास्थ्य केन्द्र, बनेड़ा, भीलवाड़ा।

संबन्धित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्रीमती गुडडी ताकर, सूचना सहायक, कार्यालय सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर को राजस्थान विद्यालय यु.सी.सी.एस आईटी, जयपुर से MCA Vth & VIth Sem. की नियमित परीक्षा में सम्मिलित होने की 1 में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्रीमती गुडडी ताकर को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर दी जाती है:-

1. अध्ययन संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही प्राप्त मानी जाएगी।

2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

3. कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

4. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

5. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

7. अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

8. शासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

9. परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसृत स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता का गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।

—सह—
(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

पे निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. प्राधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर।

2. श्रीमती गुडडी ताकर, सूचना सहायक, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर।

3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सुश्री सुनीता मीणा, सूचना सहायक, कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तूंगा (बस्सी) को Nims University JDCA की पत्राचार परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति सुश्री सुनीता मीणा को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्र दी जाती है:-

शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घो होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अ स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा नि प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनु उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मा या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।

(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

लेपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तूंगा (बस्सी)।
2. सुश्री सुनीता मीणा, सूचना सहायक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तूंगा (बस्सी)।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सुश्री हेमलता सैनी, सूचना सहायक, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर (दक्षिण) को SIKKIM ANIPAL UNIVERSITY से MCA की पत्राचार परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई पत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति सुश्री हेमलता सैनी को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्र जाती है:-

शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घो होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार : मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन् स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा वि प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनु उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।

sd
(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

पि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर (दक्षिण)।

सुश्री हेमलता सैनी, सूचना सहायक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर (दक्षिण)।

संबन्धित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री पंकज सोनी, सूचना सहायक, कार्यालय राज. सामु. स्वास्थ्य केन्द्र, रतनगढ़, चुरू को SIMCA, Pune से 2A Vth & VIth Sem. की नियमित परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री पंकज सोनी को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की है:-

शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्तः स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।

—sd—

(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, राज. सामु. स्वास्थ्य केन्द्र, रतनगढ़, चुरू।
श्री पंकज सोनी, सूचना सहायक, राज. सामु. स्वास्थ्य केन्द्र, रतनगढ़, चुरू।
संबन्धित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सुश्री तुलसी चन्चलानी, सूचना सहायक, कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिडिकचयावास, अजमेर को जिन महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से MSC (CS) की पत्राचार परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस ग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति सुश्री तुलसी चन्चलानी को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर दी जाती है:-

शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः प्रमाप्त मानी जाएगी।

कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्य स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा विचार्य प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।

- 54 -

(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

लेपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीसांगन, अजमेर।
2. सुश्री तुलसी चन्चलानी, सूचना सहायक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिडिकचयावास, अजमेर।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री पंकज बलडोदिया, सूचना सहायक, कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिरा की ढाणी खण्ड बायतू, बाड़
Jaipur National University से MCA IInd Year की पत्राचार परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस
भाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री पंकज बलडोदिया को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों
पर की जाती है:-

शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः
समाप्त मानी जाएगी।

कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है
अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित
होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार
मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्त
स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा वि
प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनु
उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान
या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।

-sd-

(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

अपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बायतू, बाड़मेर।
2. श्री पंकज बलडोदिया, सूचना सहायक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिरा की ढाणी खण्ड बायतू, बाड़मेर।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री सुरेश चन्द सोलंकी, सूचना सहायक, कार्यालय पंचायत समिति मेड़ता, नागौर को MDS University से Part-III की स्वयंपाठी परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री सुरेश चन्द सोलंकी को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर दी जाती है:-

शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्य स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा विप्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान या गौर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।

—Sd/—
(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

अपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति मेड़ता, नागौर।
2. श्री सुरेश चन्द सोलंकी, सूचना सहायक, पंचायत समिति मेड़ता, नागौर।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सुश्री ज्योति जीनगर, सूचना सहायक, कार्यालय प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, जोधपुर को वर्धमान विीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से M.C.A की पत्राचार परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग क ई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति सुश्री ज्योति जीनगर को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों ान की जाती है:-

शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हों तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषि होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार न मेल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा किर कार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

शासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसा चित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

स अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।

—sd—

(जय सिंह)

प्रमारी अधिकारी, संस्थापन

निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

अधीक्षक (कार्यालय), प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, जोधपुर।

सुश्री ज्योति जीनगर, सूचना सहायक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, जोधपुर।

संबन्धित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

—sd—

प्रमारी अधिकारी, संस्थापन

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री पुनित भाटी, सूचना सहायक, कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चवा (सिणधरी) जिला बाड़मेर को ऐश्वर्य नेज ऑफ मैनेजमेंट एवं रिसर्च सेंटर, जोधपुर से MCA Final Year की नियमित परीक्षा में सम्मिलित होने की ति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री पुनित भाटी को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की है:-

शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार न मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्य स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा कि प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुर उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्य या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।


(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

पि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चवा (सिणधरी) जिला (बाड़मेर)।

श्री पुनित भाटी, सूचना सहायक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चवा (सिणधरी) जिला बाड़मेर।

संबन्धित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री महेश कुमार मीणा, सूचना सहायक, कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेड़वा-चौहटन, बाड़मेर को Jyot yapeeth Women's University, Jaipur से MBA (FM) IInd Sem. की पत्राचार परीक्षा में सम्मिलित होने के तें में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री महेश कुमार मीणा को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों न की जाती है:-

शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः उमाप्त मानी जाएगी।

कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार न मेल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्य स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा कि प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्य या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।

—sd—
(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

पि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेड़वा (बाड़मेर)।

श्री महेश कुमार मीणा, सूचना सहायक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेड़वा-चौहटन, बाड़मेर।

संबन्धित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री लक्ष्मी नारायण प्रजापत, सूचना सहायक, कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पड़िहारा, रतनगढ़ को स्थान विश्वविद्यालय से M.A. की स्वयंपाठी परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई अनापत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री लक्ष्मी नारायण प्रजापत को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार न मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्य स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा कि प्रकाश का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुरूप उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।

—sd—

(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पड़िहारा, रतनगढ़।

श्री लक्ष्मी नारायण प्रजापत, सूचना सहायक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पड़िहारा, रतनगढ़।

संबन्धित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री सत्यनारायण कुमावत, सूचना सहायक, कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोराज, जयपुर को महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, मेढालय से MCA Vth Sem. की पत्राचार परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री सत्यनारायण कुमावत को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर दी जाती है:-

शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।

परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार न मेल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।

अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा किए गए अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

शासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

स अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता का गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।


(जय सिंह)

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन

निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोराज, जयपुर।

श्री सत्यनारायण कुमावत, सूचना सहायक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोराज, जयपुर।

संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


प्रभारी अधिकारी, संस्थापन